कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : AF/19304-05/सम्बद्धता अनु. /2019

दिनांक : 20/09/2019

कार्यालय–ज्ञाप

सूच्य है कि अनानुमोदित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की अर्हताओं से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या : 772/सत्तर–1–2018–16(123)/2015, दिनांक 19.09.2018 के संदर्भ में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.04.2019 के मद संख्या : 16(ब) द्वारा सर्वसम्मति से उक्त शासनादेश के प्राविधानों/नियमों को यथावत् लागू करने का निर्णय लिया गया है।

ramisha

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)
कृते कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाईल।
3. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

लखनऊ विश्वविद्यालय
कार्यालय टिप्पणी तथा आदेश
(सम्बद्धता अनुभाग)

कृपया उ.प्र. शासन संख्या – 792/सत्तर–1–2018–16(123)/2015, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हता में संशोधन किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड निम्नवत् होंगे :–

"(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी प्वाइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

(ख) सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पी–एच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित।

(ग) उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।"

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50 की उपधारा–6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों के अधीन शासनादेश संख्या–06/2018/597/ सत्तर–1–2018–16 (123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा जोड़े गये परन्तुक के खण्ड (ख) में **"सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पी–एच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित"** के स्थान पर **"सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पी–एच0डी0 की उपाधि"** रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

शासन द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि परिनियमावली में 15 दिन के अन्दर उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।

अतः उपरोक्त शासनादेश को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यथास्थान सम्मिलित किये जाने हेतु कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करना चाहें।

संख्या- 772 /सत्तर-1-2018-16(123)/2015

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हताओं में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31-12-2010, सपठित शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03-12-2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में परिनियम संख्या-'11.03.03-प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड' के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों की अर्हताओं के संदर्भ में शासनादेश संख्या-06/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा निम्नांकित 'परन्तुक' जोड़ा गया है :-

'परन्तु अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड निम्नवत् होंगे :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ हो (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड)।

(ख) सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित।

(ग) उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।'

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या-06/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015 दिनांक

06 अगस्त, 2018 द्वारा जोड़े गये 'परन्तुक' के खण्ड (ख) में "सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि, प्रकाशित कार्य एवं शोध निर्देशन के साक्ष्यों सहित" के स्थान पर "सम्बन्धित संस्था में सम्बद्ध/सहबद्ध/सुसंगत शाखाओं में पीएच0डी0 की उपाधि" रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–06/2018/597/सत्तर–1–2018–16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में 15 दिन के अन्दर उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर लें तथा अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 772 (1)/सत्तर–1–2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त प्रबन्धक, अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(7) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को राज्य विश्वविद्यालयों/अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव